संख्या- 32/2026/510/2026/27-2002/2/2026-2

प्रेषक,

सिद्धा शरण पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 **लखनऊ :: दिनांक 24 मार्च, 2026**

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य पोषित/केन्द्र पोषित (नेपाल राष्ट्र) मदों के अन्तर्गत 12 अदद् नई परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-389/काप्रअ/अनिबामं/यू-10बी-1प्र0, दिनांक 09.03.2026 एवं पत्रांक-421/काप्रअ/अनिबामं/यू-10बी-1प्र0, दिनांक 12.03.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर निम्नलिखित विवरण की राज्य पोषित/केन्द्र पोषित (नेपाल राष्ट्र) से कुल 12 अदद् नई परियोजनाओं की कुल लागत रू0 41,97,86,000.00 (रूपये इकतालीस करोड़ सत्तानबे लाख छियासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-08-तटबन्धों का निर्माण-41-तटबन्धों पर सड़क निर्माण एवं मरम्मत की परियोजना व अन्य (राज्य पोषित)-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत बजट व्यवस्था एकमुश्त (नई-श्रेणी) की अवशेष धनराशि में से प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 01,00,000.00 (रूपये एक लाख मात्र), लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-08-तटबन्धों का निर्माण-40-नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाएँ (राज्य पोषित)-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत बजट व्यवस्था एकमुश्त (नई-श्रेणी) की अवशेष धनराशि में से प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 26,00,000.00 (रूपये छब्बीस लाख मात्र), लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-09-कटाव निरोधक योजनाएँ-84-नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यो की परियोजनाएँ (राज्य पोषित)-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट व्यवस्था एकमुश्त (नई-श्रेणी) में से प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 10,00,000.00 (रूपये दस लाख मात्र) एवं लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-03-त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नेपालराष्ट्र में नदी में सुधार व कटाव निरोधक परियोजनाओं हेतु (ए0आई0बी0पी0 पोषित)-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट व्यवस्था एकमुश्त (नई-श्रेणी) में से प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 02,00,000.00 (रूपये दो लाख मात्र) अर्थात कुल रू0 39,00,000.00 (रूपये उनतालीस लाख मात्र) की धनराशि को अवमुक्त करते हुये प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 स0	खण्ड का नाम	मण्डल का नाम	संगठन का नाम	परियोजनाओं के नाम	स्थायी संचालन सं0 का संदर्भ/क्र0सं0	लागत (लाख रू0 में)	स्वीकृत धनराशि (एकमुश्त नई से)
1	2	3	4	5	6	7	8
94-4711-01-103-08-41-24 तटबधों पर सडक निर्माण एवं मरम्मत की परियोजना व अन्य							
1	शारदा	सिंचाई कार्य मण्डल सीतापुर	शारदा नहर खण्ड, शाहजहाँपुर	जनपद शाहजहॉपुर में गर्रा नदी के बाएं किनारे पर स्थित बेहटा शाहबाजनगर बंध पर बोल्डर पिचिंग कार्य की परियोजना।	60वीं बैठक, दिनांक 12.12.2025 क्रमांक-178	477.38	1.00
				योग (08-41)		477.38	1.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

94-4711-01-103-08-40-24 तटबंधों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण की परियोजनायें							
2	शारदा	सिंचाई कार्य मण्डल सीतापुर	शारदा नहर खण्ड, शाहजहाँपुर	जनपद शहाजहाँपुर में तहसील सदर के अन्तर्गत गर्रा नदी के दायें किनारे पर स्थित ग्राम चान्दापुर बरकतपुर की गर्रा नदी के कटान से सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	60वीं बैठक, दिनांक 12.12.2025 क्रमांक-177	398.17	1.00
3	गंगा	गंगा नहर संचालन मण्डल, मेरठ	ड्रेनेज खण्ड प्रथम, मेरठ	जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत गंगा नदी के दायें किनारे पर स्थित गांव कर्णवास में कर्णवास घाट के डाऊनस्ट्रीम में गांव की सुरक्षार्थ कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	60वीं बैठक, दिनांक 12.12.2025 क्रमांक-231	313.19	4.00
4	गंगा	गंगा नहर संचालन मण्डल, मेरठ	ड्रेनेज खण्ड प्रथम, मेरठ	जनपद मुजफ्फरनगर में गंगा नदी के दायें किनारे पर स्थित रामराज तटबन्ध के सुरक्षार्थ किमी0 4.975 एवं किमी0 5.140 पर स्पर के निर्माण के कार्यों की परियोजना।	60वीं बैठक, दिनांक 12.12.2025 क्रमांक-233	494.00	8.00
5	यमुना	ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद	ड्रेनेज खण्ड, शामली (मुजफ्फर नगर)	जनपद शामली में यमुना नदी के बायें किनारे पर स्थित यमुना बढ़ी रिंग बंध पर स्थित स्पर एवं स्टड के सुदृढीकरण कार्यों की परियोजना।	60वीं बैठक, दिनांक 12.12.2025 क्रमांक-246	325.28	5.00
6	यमुना	ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद	सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद	जनपद-गौतमबुद्धनगर में यमुना नदी के बांये किनारे पर स्थित हिण्डन-यमुना दोआब बंध के कि०मी० 21.800 से कि०मी० 22.300 के मध्य पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त कटाव निरोधक कार्यों की पुनर्स्थापना की परियोजना।	60वीं बैठक, दिनांक 12.12.2025 क्रमांक-247	140.44	5.00
7	पूर्वीगंगा	सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद	सिंचाई खण्ड, मुरादाबाद	जनपद मुरादाबाद में कोसी नदी के बायें किनारे पर स्थित आगापुर-मढौली तटबन्ध के किमी0 7.550 पर की बाढ़ से सुरक्षा हेतु स्पर के निर्माण कार्य की परियोजना।	60वीं बैठक, दिनांक 12.12.2025 क्रमांक-264	115.86	1.00
8	मध्य गंगा	मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल-प्रथम, मेरठ	मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-5, बिजनौर	जनपद बिजनौर में गंगा नदी पर निर्मित चौ० चरण सिंह, मध्य गंगा बैराज के बायें अफलक्स बंध पर के कि०मी० 5.350 से कि०मी० 5.700 के मध्य पूर्व निर्मित 3 नं० स्टड के क्षतिग्रस्त भाग की पुनर्स्थापना के कार्यों की परियोजना।	60वीं बैठक, दिनांक 12.12.2025 क्रमांक-289	405.00	2.00
				योग (08-40)		2191.94	26.00
94-4711-01-103-09-84-24 नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाएं							
9	यमुना	सिंचाई कार्य मण्डल सहारनपुर	सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में तहसील-नकुड, विकास खण्ड-सरसावॉ के अन्तर्गत यमुना नदी के बांयें किनारे पर स्थित ग्राम अप्लाना और ढिक्का कलां के सुरक्षार्थ कटाव निरोधक कार्यों के निर्माण की परियोजना।	विशेष बैठक, दिनांक 28.01.2026 क्रमांक-10	634.34	5.00
10	यमुना	तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य आगरा	अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा	जनपद मथुरा के अन्तर्गत यमुना नदी के बॉयें किनारे पर स्थित ग्राम अड्डा फिरोजपुर की बाढ़ से सुरक्षा हेतु परक्यूपाइन स्टड निर्माण कार्य की परियोजना।	विशेष बैठक, दिनांक 28.01.2026 क्रमांक-13	175.05	5.00
				योग (09-84)		809.39	10.00
94-4711-01-103-01-03-24 त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नेपालराष्ट्र की नदी में सुधार व कटाव निरोधक योजनाएं (ए0आई0वी0पी0 पोषित)							
11	गण्डक	गण्डक सिंचाई कार्य मण्डल-2 गोरखपुर	सिंचाई कार्य खण्ड-2 महाराजगंज	नेपाल राष्ट्र के जनपद-नवलपरासी में बड़ी गण्डक नदी के दायें तट पर स्थित बी-गैप तटबंध के स्पर सं0-16 से स्पर सं0-17 तक बिटुमिनस सड़क निर्माण एवं बी-गैप कालोनी स्थित बाढ़ स्टोर के पुनर्स्थापना, स्टाफ रूम निर्माण और बाह्य विकास कार्य की परियोजना।	60वीं बैठक, दिनांक 12.12.2026 क्रमांक-97	298.50	1.00
12	गण्डक	गण्डक सिंचाई कार्य मण्डल-2 गोरखपुर	सिंचाई कार्य खण्ड-2 महाराजगंज	नेपाल राष्ट्र के जनपद-नवलपरासी में बड़ी गण्डक नदी के दायें तट पर स्थित लिंक तटबंध के स्पर सं0-01 व 02 तथा नेपाल तटबंध के स्पर सं0-03 के शैंक की सेक्शन सुधार कार्य की परियोजना।	60वीं बैठक, दिनांक 12.12.2026 क्रमांक-98	420.65	1.00
				योग (01-103)		719.15	2.00
				राज्य पोषित /केन्द्र पोषित (नेपाल राष्ट्र) मदों का कुल महायोग-		4197.86	39.00

(रूपये उनतालीस लाख मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों</u>

3- उक्त धनराशि का व्यय करने में निम्नांकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:-

(1) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जाएगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाए।

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्य पर ही किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई/सम्बन्धित अधिकारियों का होगा।

(4) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। व्यय करने से पूर्व कार्य के विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(5) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जिन परियोजनाओं की स्वीकृति शासन स्तर से अपेक्षित है उनकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शासन के सम्बन्धित अनुभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराए। इन परियोजनाओं पर किसी अन्य मद से यदि धनराशि प्राप्त हुई हो तो उसका समायोजन कर लिया जाएगा तथा स्वीकृत की गई धनराशि का व्यय अनुमोदित मदों पर ही किया जाएगा।

(6) निर्माण कार्यो पर व्यय करने के पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का व्यय सम्बन्धित परियोजना की अनुमोदित लागत तक ही सीमित रखा जायेगा, अनुमोदित लागत के ऊपर धनराशि का व्यय करने से पूर्व शासन की अनुमति अनिवार्यत: प्राप्त की जाएगी।

(7) अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समकक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(8) वित्त विभाग के सी0सी0एल0 संबंधी आदेशों को संज्ञान में लेते हुए अवमुक्त धनराशि के व्यय का माहवार कार्यक्रम निर्धारित कर लिया जाए, जिसमें यथा सम्भव समानुपातिक आधार पर व्यय की व्यवस्था हो। तद्नुसार व्यय सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी अनुश्रवण किया जाए। परियोजनाओं की लागत में टाईम ओवर रन/कास्टओवर रन विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(9) बी0एम0 प्रपत्र-8 पर नियमित रूप से व्यय विवरण की सूचना शासन में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 व सिंचाई अनुभाग-2 को प्रतिमाह उपलब्ध कराई जाए।

(10) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाए। इसलिए नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष के स्तर पर भी वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े, तो उसे तत्काल शासन/वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाए।

(11) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

(12) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर फेजिंग के अनुसार समानुपातिक किश्तों में आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जाएगा तथा आहरित धनराशि बैंक/पीएलए/डाकघर/डिपाजिट खाते में न रखी जाए।

(13) उक्त धनराशि का व्यय, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 25.01.2011 तथा श्रम अनु0-2 के शासनादेश सं0-1666/36-2-2010, दि0 05.12.2010 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं शर्तो के अन्तर्गत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय को आगणन में सम्मिलित करते हुए इस धनराशि को जोड़कर संबंधित लेखाशीर्षकों में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

(14) कार्य की विशिष्टियॉ मानक/गुणवत्ता तथा मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व/ जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई तथा सम्बन्धित अधिकारियों की होगी। प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लिकेसी) रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रमुख अभियन्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा हो।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

.

(15) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा समक्ष स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

(16) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(17) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में उत्तर प्रदेश सरकार को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(19) विभागीय तकनीकी समिति की बैठक में लगायी गयी शर्तों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा ।

(20) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाएगा।

(21) यह भी सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(22) प्रमुख अभियन्ता सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता को धनराशि आवंटित करेंगे। किसी भी दशा में अधीक्षण अभियन्ता/ अधिशासी अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता द्वारा धनराशि आवंटित नहीं की जाएगी।

(23) प्रमुख अभियन्ता आवंटित धनराशि की सूचना 10 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराएंगे।

(24) प्रमुख अभियन्ता द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(25) प्रमुख अभियन्ता द्वारा भविष्य में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि अध्याप्ति हेतु अनुमोदित लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी।

(26) प्रमुख अभियन्ता एवं सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि वह परियोजना का बार चार्ट तथा पाई चार्ट तैयार कराएंगे तथा व्यय की जाने वाली धनराशि का माहवार चार्ट बनाकर विवरण सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(27) प्रमुख अभियन्ता एवं सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि वह सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19.05.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(28) वित्त विभाग (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्याः 2/2023/बी- 1-227/दस-2023-231/2023, दिनांकः 17 मार्च, 2023 एवं यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 19.09.2023 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(29) बजट अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2017/बी-3-1034/दस-2017-100(4)/2002ब0मै0,दिनांक 21.11.2017 के प्राविधानानुसार कृपया बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 के तहत सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।

(30) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्याः 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांकः 27 मार्च 2025 में स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिए गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(31) परियोजनाओं के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्थायी संचालन समिति की 60वीं बैठक दिनांक 12.12.2025 के कार्यवृत्त में दिये गये समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-08-तटबन्धों का निर्माण-41-तटबन्धों पर सड़क निर्माण एवं मरम्मत की परियोजना व अन्य (राज्य पोषित)-24-वृहत निर्माण कार्य (तालिका क्रमांक-1 पर अंकित परियोजना पर रुपये 01,00,000), लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-08-तटबन्धों का निर्माण-40-नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाएँ (राज्य पोषित)-24-वृहत निर्माण कार्य (तालिका क्रमांक-02 से 08 पर अंकित परियोजनाओं पर रुपये 26,00,000), लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-09-कटाव निरोधक योजनाएँ-84-नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यो की परियोजनाएँ (राज्य पोषित)-24-वृहत निर्माण कार्य (तालिका के क्रमांक-09 से 10 पर अंकित परियोजना पर रुपये 10,00,000) के एवं लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़

http://shasanadesh.up.gov.in

नियन्त्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-03-त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नेपालराष्ट्र में नदी में सुधार व कटाव निरोधक परियोजनाओं हेतु (ए0आई0बी0पी0 पोषित)-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत (तालिका के क्रमांक-11 से 12 पर अंकित परियोजना पर रुपये 02,00,000) के नामे डाला जाएगा (चारों मदों का योग रुपये 39,00,000.00) है।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 01,00,000.00 (रूपये एक लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 94-4711-01-103-08-41-24 तटबधों पर सडक निर्माण एवं मरम्मत की परियोजना व अन्य (राज्य पोषित) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 26,00,000.00 (रूपये छब्बीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 94-4711-01-103-08-40-24 तटबंधों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण की परियोजनायें (राज्य पोषित) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (*3*) रुपये 10,00,000.00 (रूपये दस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 94-4711-01-103-09-84-24 नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाएं (राज्य पोषित) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (4) रुपये 02,00,000.00 (रूपये दो लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 94-4711-01-103-01-03-24 त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नेपालराष्ट्र की नदी में सुधार व कटाव निरोधक योजनाएं (ए0आई0वी0पी0 पोषित) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-1136-X-2025-26, दिनांक-20.03.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सिद्धा शरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(3) प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0),सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(4) सम्बन्धित जिलाधिकारी।
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
(6) नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) मुख्य अभियंता, अनु0 एवं नियो0(बाढ़) , सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(8) मुख्य अभियंता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(9) सम्बन्धित मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
(10) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(11) अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
(12) वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-8
(13) सिंचाई अनुभाग-9/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
सिद्धा शरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।